राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2417/2023

विवेक जादौन —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक सह संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2023
आदेश की दिनांक : 22.09.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजभवन, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, नागौर में किया गया। अपीलार्थी को जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक निदेशक के पद पर की गई। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी की पत्नी प्रियंका अग्रवाल भी इसी विभाग में सहायक निदेशक के पद पर जनसम्पर्क कार्यालय मुख्यालय जयपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक–2)। राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी का पुत्र 11वीं कक्षा में पढ़ता है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी ने दिनांक 21.07.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में नियमित डीपीसी आयोजित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जयपुर में सहायक निदेशक के कैडर में कई पद रिक्त है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर सहायक निदेशक के पद पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजभवन, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य